पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

पठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आ0ए0एस0

मु.सं.	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
104 / 17	26.07.2017	16/5/2018

अनुवान

1. सावत्री देवी पत्नि मोहनलाल जाति अहीर निवासी ग्राम जोडिया तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम तह0 कोटकासिम जिला–अलवर राज0
2. श्रीमान उप–पंजियक महोदय कोटकासिम(अलवर) राज0
3. सिडिकेट बैंक शाखा टपूकडा जरिये शाखा प्रबंधक तहसील तिजारा
4. जयराम पुत्र मूला जाति अहीर निवासी जौडिया तहसील कोटकासिम
5. राजेन्द्र
6. अमरपाल पुत्र बोदनराम
7. गीता
8. मन्जू पुत्री बोदनराम जाति अहीर निवासी राजधोकी तहसील तिजारा
9. गुड्डी पत्नि छोटेलाल
10. विरेन्द्र
11. टेकचन्द
12. विजेन्द्र पुत्रांन छोटेलाल
13. सरोज
14. सन्जू
15. नीकू पुत्रीयान छोटेलाल जाति अहीरान निवासी जौडिया तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0

–असल प्रतिवादीगण

16. हंसराज
17. सिंहराज पुत्रांन रोहिताश
18. नरपाल पुत्र प्रहलाद
19. गिन्दोडी पत्नि प्रहलाद
20. मोहनलाल पुत्र मूला जाति अहीरान निवासी जौडिया तह0 कोटकासिम
21. महावीर
22. किरोडी
23. देवेन्द्र
24. गोपीचन्द पुत्रांन शीशराम
25. मूर्ती

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

27. राज पुत्रीयान शीशराम जाति अहीरान निवासी फदनी तहसील व जिला रेवाड़ी हरियाणा
—फोरमल पक्षकार

दावा इश्तकरार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय
बमय हुक्मईम्तनाईदवामी अन्तर्गत धारा
88,89,व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम सन 1955

अतः वादिया का वाद इस कदर डिक्री किया जाता है की विवादित आराजी हाल ख0न0 231/0–16, 232/0–08 वाके ग्राम तुर्कवास तहसील कोटकासिम के 5/9 भाग में वादिया को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है । विवादित भूमि में प्रतिवादीगण के नाम आये अमल को कलमजन कर वादिया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 16/04/2018 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)राज0

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

संशोधित [illegible]

10-5-18 प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें अंकित अप्रार्थी सं. 14 का नाम मंजु उर्फ [illegible] व अप्रार्थी सं. 15 का नाम [illegible] उर्फ [illegible] है। इसी अनुसार पढ़ा जावे।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज.
पीठासीन अधिकारी - श्री विश्वामित्र मीना R.A.S

मुकदमा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
104/17	26.7.2017	16/04/2018

उनवान

[1] सावत्री देवी पत्नि मोहनलाल जाति अहीर निवासी ग्राम जौंडिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

-वादिया

बनाम

[1] राजस्थान सरकार जरिये मुख्तारी अधिकारी (लैण्ड रेकार्ड) तहसीलदार कोटकासिम (अलवर) राज.

[2] श्रीमान उप पंजीयक महोदय कोटकासिम (अलवर) राज.

[3] सिंडिकेट बैंक शाखा रघुनाथ जरिये शाखा प्रबंधक तहसील तिजारा

[4] जगदराम पुत्र मूला जाति अहीर निवासी जौंडिया तह. कोटकासिम

[5] रविन्द्र

[6] अमरपाल पुत्र बोदनराम

[7] गीता

[8] मन्जू पुत्री बोदनराम जाति अहीर निवासी राजगढ़ी तहसील तिजारा

[9] गुड्डी पत्नि छोटेलाल

[10] वीरेन्द्र

[11] टेकचन्द

[12] जितेन्द्र पुत्रान छोटेलाल

[13] सरोज

[14] सन्जू

[15] नीकू पुत्रीयान छोटेलाल जाति अहीर निवासी जौंडिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

- अप्रार्थी प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

[16] हंसराज

[17] सिंहराज पुत्रान बोदनराम

[18] नरपाल पुत्र प्रहलाद

[19] गिनदेवी पत्नि प्रहलाद

लगातार -

Scanned by CamScanner

[20] मोहनलाल पुत्र सुगा जाति अहीर ग्राम निवासी जौरिया तह० कोटकासिम
[21] महावीर
[22] किशोरी
[23] देवेन्द्र
[24] गोपीचन्द पुत्रान श्रीराम
[25] मूर्ति
[26] शकुन्तला
[27] राजा पुत्रीयान श्रीराम जाति अहीर ग्राम निवासी कालूरी तहसील व जिला रेवाड़ी (हरि०)

— औपचारिक पक्षकार

दावा दरख्वास्त इस आशय दुरुस्ती इन्द्राज बाबत हुकम अन्तर्गत प्रावधानों धा० 111, 118 पं०भू०रा० 1955

आरक्षित :-

[1] श्री भगत सिंह चौधरी अभिभावक वादीगण
[2] तहसीलदार कोटकासिम पैरोकार सरकार

वादीया ने मय अभिभावक न्यायालय में उपस्थित होकर एक वाद इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी हाल ख०नं० 231/0-16, 232/0-08 कुल किता 2 कुल रकबा 1-04 बीघा वाकै ग्राम तुर्कियावास तहसील कोटकासिम जो विवादित आराजी है। विवादित आराजीयात के 5/9 भाग के असल खातेदार काबिज काश्तकार प्रतिवादिया सं० 9 के पति व प्रतिवादीगण सं० 10 लगा० 15 के पिता श्री छोटेलाल, प्रतिवादी सं० 4 रामप्रसाद प्रतिवादी सं० 5 लगा० 8 की अपनी प्रभात, शांति, सरवन पुत्रीयान सुगा थे। जिन्होंने विवादित आराजीयात में अपना समस्त एक हिस्सा 5/9, श्रीमती वादीया से समस्त प्रतिफल की राशी प्राप्त कर जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा क्रमांक नं० 2004000767 दिनांक 25.5.2004 को बाजारू वालकला बेचान किया है। इसके कि इनसे श्रीमती वादीया ने अपना 5/9 एक हिस्सा बाजारू वालकला रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद किया है। जिस पर श्रीमती वादीया काबिज काश्त है। बैयनामा का इन्तकाल सं० 184 दर्ज व स्वीकार किया जाकर श्रीमती वादीया का नाम खातेदारी का अमल जमाबन्दी बाबत 2063-2066 तक में निरन्तर लगातार

Sd/-
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

मिलीभगत करके बाद वर्ष चौसाला में वादिया का नाम हटाकर प्रतिवादी-
गण के नाम का इन्द्राज कर दिया और प्रतिवादी सं. 9 के पति ने
छोटेलाल के हिस्सा मौका व हिस्सा कानून व बिना कब्जा के
व बिना बटवारा के अवैधानिक तरीके से प्रतिवादी सं. 3 को गलत
तरीके से आराजात बाबत कुल 1/9 हिस्सा बैंक में रहन रखकर क्रेडिट
कार्ड बना दिया जिसका अमल जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 में हो
रहा है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 5 लगा. 8 को को भी जानकारी थी कि
उसकी माताजी प्रभातदेवी ने उक्त विवादित आराजीयात में अपना 1/9
हिस्सा जरिये वादिया को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा बेचान किया हुआ है
उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण सं. 5 लगा. 8 ने हिस्सा मौका व हिस्सा
कानून व बिना कब्जा के प्रभातदेवी की विरासत का नामान्तरकरण सं०
492 दिनांक 7.12.15 को अपने नाम दर्ज व स्वीकार करवाकर राजस्व
जमाबन्दी में अमल दरामद करा लिया। जिसकी पुष्टि ता. हाल
राजस्व रिकार्ड जमाबन्दियों में हो रही है। विवादित आराजी के राजस्व
रिकार्ड जमाबन्दीयों ~~के~~ सम्वत 2063-2066 के बाद वर्ष चौसाला।
जमाबन्दी से लेकर ता हाल राजस्व रिकार्ड तक में से प्रतिवादी सं. 4
व प्रतिवादी सं. 9 के पति व प्रतिवादी सं. 10 लगा. 15 के पिता छोटेलाल
का व प्रभातदेवी व उसके वारिसान प्रतिवादीगण सं. 5 लगा. 8 का
नाम नामान्तरण कराने की व छोटेलाल के 1/9 हिस्से को प्रतिवादी सं.
3 के यहां रहन रखकर जो नामान्तरण सं. 440 दर्ज व स्वीकार कराया
उस नामान्तरण को खारिज व बेअसर तथा शून्य वाइड शून्य घोषित
कराने व अपने 5/9 भाग की खातेदार काश्तकार घोषित कराने
व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराने की हेतु वादिया अधिकारी
है। इस गलत इन्द्राज का ज्ञान वादिया को तब हुआ जब दिनांक 12.7.17
को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हल्का पटवारी के पास गई। प्रतिवादीगण
से इस गलत इन्द्राज को दुरुस्त कराने को कहा तो साफ इन्कार
हो गये। फलस्वरूप न्यायालय श्रीमान में वाद पेश करना लाजिम आया।
वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड
नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 4,9,10,11,12,13,14,15,
की ओर से दिनांक 7.11.17 को श्री राजकुमार एडवो. ने V.T पेश की।
दिनांक 16.2.18 तक वकालतनामा पेश नहीं करने पर उनके खिलाफ
एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। शेष प्रतिवादीगण की दिनांक

लगातार

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

7.11.17 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई थी। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया जिसमें अंकित किया कि विवादित आराजी वादिया की खरीदशुदा आराजी है। पत्रावली का अवलोकन विचार है। इस प्रकार का कोई हित निहित नहीं है।

बहस विद्वान अभिभाषक सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी ने अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया और कहा कि विवादित आराजी निज वादिया की खरीदशुदा आराजी है जो प्रतिवादीगण से 5/9 भाग खरीद की है। जिसका विधिवत इन्तकाल दर्ज होकर जमाबन्दी संवत 2063-2066 अनुसरित गया। लेकिन इसके बाद की चौसाला में निज वादिया का नाम कम्प्यूटर कर प्रतिवादीगण के नाम का इन्द्राज कर दिया। इस गलत इन्द्राज की आड़ में प्रतिवादीगण ने इन्तकाल विरासत व किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लिया जो सरासर धोखा व गैरकानूनी है इसलिए निज वादिया अपनी खरीदशुदा आराजी 5/9 भाग की खातेदार काश्तकार घोषित कराने व प्रतिवादीगण के नाम आये गलत इन्द्राज को दुरुस्त कराने की अधिकारी है।

बहस विद्वान अभिभाषक वादी पर मनन किया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादिया अधिवक्ता का कथन है कि वादिया ने विवादित आराजीयात को रजिस्टर्ड बैनामा से खरीद किया जिसका विधिवत इन्तकाल सं. 184 दर्ज व स्वीकार हुआ और जमाबन्दी सं. 2063-2066 में अमल दरामद किया गया। इन्तकाल सं. 184 का व जमाबन्दी सं. 2063-2066 का अध्ययन किया जिसमें वादिया के नाम का अमल हो रहा है। संवत 2063-2066 के बाद आये अमल राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दियों में जो गलत प्रतीत होते हैं। जिसे शुद्ध किया जाना सही प्रतीत होता है।

अतः वादिया का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नं. 231/0-16, 232/0-09 वाके ग्राम तुर्कबास तहसील कोटकासिम के 5/9 भाग में वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विवादित भूमि में प्रतिवादीगण के नाम आये अमल को निरस्त कर वादिया के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पत्रो डिक्री जारी हो।

Sd/-
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

[illegible]

Scanned by CamScanner

[illegible]

निर्णय आज दिनांक 13/04/2018 को मेरे द्वारा लिखकर [illegible] सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

[illegible]

10/5/18 पत्रावली [illegible] की [illegible] ले [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] नं. 14 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] नं. 15 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। (हस्ताक्षर)